न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
121/प्रा0प0/2024	**29.08.2023**	**हरबिन्दर डी0 सिंह,** आर0ए0एस0

1. घांसीलाल आत्मज श्री गोरू जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी राज०।
2. अशोक कुमार पुत्र रामकुंवार जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एव जिला बून्दी राज०।
3. कैलाश बाई पत्नि धन्ना लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी राज०।
4. किरण पुत्री रामकुवार जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एव जिला बून्दी राज०।
5. नन्द किशोर पुत्र गोरू जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एव जिला बून्दी राज०।
6. नीलम पुत्री धन्ना लाल नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता कैलाश बाई पत्नि धन्ना लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एव जिला बून्दी राज०।
7. युवराज पुत्र धन्ना लाल नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता कैलाश बाई पत्नि धन्ना लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एव जिला बून्दी राज०।
8. रामचन्द्री बाई पत्नि स्व० गोरू जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एंव जिला बून्दी राज०।
9. लाड़बाई पुत्री रामकुंवार जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी राज०।
10. हंसराज पुत्र रामकुंवार जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटखेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी राज०।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक—29.10.2024

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री रामदत्त शर्मा।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 487/241 रकबा 1.0766 है0 (7बीघा) वाके ग्राम कोटखेड़ा तह0 एव जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से प्रा0प0 में वर्णित भूमि का सीमांकन करवाकर वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करने हेतु एवं भूमि का नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने के लिए कई बार अनुरोध किया परन्तु

अप्रार्थी तहसीलदार साहब निरन्तर टालमटोल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक भी इस सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। जिसके कारण प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का वास्तविक क्षैत्रफल प्रार्थीगण के खाते की भूमि से मौके पर कम होने से प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि का पूरा लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि मौके पर पड़ौसी खातेदारों से किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होवें एवं साथ ही प्रार्थीगण वैधानिक खातेदार होने से अपने खातेदारी की भूमि का पूरा पूरा लाभ उठा सके। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी की उक्त भूमि का सीमांकन करवाने हेतु तहसीलदार बून्दी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनाक 18.05.2023 की पालना में दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा किया गया तथा मौके पर सीमाज्ञान के उपरान्त सीमा चिन्ह भी बताये गये परन्तु नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने बाबत सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए कहा गया है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण के खातेदारी की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सीमांकन करवाकर वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करवाकर उसी अनुरूप मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10.06.2023 को अप्रार्थी तहसीलदार बून्दी से उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि का सीमाकन एवं पत्थरगढ़ी करने का अनुरोध करने एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर उत्पन्न हुआ हैं, इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का मौके पर जाकर सीमांकन करने एव पत्थरगढ़ी करने बाबत आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 4294 दिनांक 26.09.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम कोटखेड़ा के खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नंबर 487/241 रकबा 1.0766 है0 में मुताबिक रेकार्ड जमाबंदी के प्रार्थी घांसीलाल पुत्र गोरू हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त खसरे का सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में सम्पूर्ण खसरे का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं। पड़ौसी कृषक से सीमा विवाद हैं इसलिए सीमाज्ञान के स्थान पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। मौके पर लड़ाई–झगडें की सम्भावना हैं। अतः टीम बनाकर मय पुलिस जाप्ते के पत्थरगढ़ी की जा सकती हैं।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया की सीमाचिन्हों के अभाव में पड़ौसी काश्तकार प्रार्थीगण की भूमि को सीमाओं की आरे से हड़पना चाह रहे हैं। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार हैं। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की प्रार्थना पत्र विषयक भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का नियमानुसार अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार बनने वाली राजकीय राशि जमा करवाने को तैयार हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर हमारी भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070–73 ग्राम कोटखेड़ा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की आराजी खसरा संख्या 487/241 रकबा 1.0766 है0 में प्रार्थीगण खातेदार

काश्तकार दर्ज हैं। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2023 को विभाग द्वारा कर दिया गया हैं। फर्द सीमाज्ञान संलग्न पत्रावली हैं। तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जहां तक मौके पर लड़ाई–झगडे की सम्भावना हैं तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्रार्थीगण को प्रावधानों के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, बून्दी को 500/–रू0 फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार मौका कमिश्नर फीस एवं अन्य निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त आराजी खसरा संख्या 487/241 रकबा 1.0766 है0 ग्राम कोटखेड़ा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की पत्थरगढ़ी पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए अन्य न्यायालय का स्थगन व मौके पर फसल न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी